हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

बनाम

ओम पाल

10 अप्रैल, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कण्डेय काटजू, जे.जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

श्रम कानून धाराएं 25 एफ और 25 जी- सेवा की निरन्तरता- दैनिक मजदूर ने एक प्रतिष्ठान में 145 दिनों तक काम किया- इसके बाद उसने दूसरे प्रतिष्ठान में 90 दिनों तक काम किया- दोनों प्रतिष्ठान अलग-अलग होकर अलग-अलग संवर्ग संख्या वाले थे। इसलिए, जिस अवधि के दौरान कर्मचारी एक प्रतिष्ठान में काम कर रहा था, तब उसे दूसरे किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने का परिलाभ प्राप्त नहीं होगा, जबकि उसे अन्य प्रतिष्ठान में अलग से भर्ती गया था, विशेष रूप से जब उसका स्थानांतरण नहीं किया गया था।

धारा 11ए श्रम न्यायालय की शक्तियां- पूर्ण वेतन के साथ बहाली का निर्देश देना। अभिनिर्धारित- श्रम न्यायालय को धारा 11ए के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन व्यापक विवेकाधिकार के बावजूद प्राप्त शक्ति में स्वतः ही पूर्ण वेतन के साथ बहाली की छूट केवल इस कारण नहीं दिया जा सकता कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। यह प्रत्येक मामले के तथ्य औ◌ार परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तथ्य यह है कि, कामगार ने लघु अवधि के लिये कार्य किया, इसलिए श्रम न्यायालय ने पूर्ण गत वेतन सहित बहाली का निर्देश देनें में अवैधता कारित की है।

प्रत्यर्थी को दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने अक्टूबर, 1994 से फरवरी, 1995 की अवधि के लिये उपखण्ड संख्या 2 में 145 दिनों की अवधि के लिये काम किया। हालाँकि, उसने मार्च, 1995 से जुलाई, 1995 की अवधि के लिए उपखंड संख्या 2 में 145 दिनों की अवधि के लिए काम किया। हालाँकि, उसने मार्च, 1995 से जुलाई, 1995 तक 90 दिनों की अवधि के लिए उपखण्ड संख्या 3 में काम किया। उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उसने औद्योगिक विवाद उठाया।

औद्योगिक न्यायाधिकरण ने उसकी बहाली और पूर्ण वेतन का निर्देश इस आधार पर दिया कि दोनों उपखण्डों में प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सेवाओं को निरन्तरता के उद्देश्य के लिए धारा 25 एफ सपठित धारा 25 बी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत गिना जाना चाहिए। अपीलकर्ता नियोक्ता ने असफल रूप से रिट याचिका दायर की। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1. दोनों उपखण्ड दो अलग-अलग प्रतिष्ठान थे। केवल इसलिए कि एक ही नियंत्रक प्राधिकारी है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रतिष्ठान अलग नहीं थे। [1093-जी;1094-ए]

2. प्रत्यर्थी ने औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय के समक्ष अपना नियुक्ति प्रस्ताव पेश नहीं किया। अलग- अलग दो उपखण्डों द्वारा उनके पक्ष में जारी किये गये नियुक्ति प्रस्ताव से स्वतः यह निष्कर्ष निकलेगा कि वे अलग-अलग थे। यदि उनकी नियुक्ति केवल मस्टर-रोल में प्रविष्टि के आधार पर थी, तो उस प्राधिकारी का पदनाम जो उन्हें दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत था, निर्धारक कारक होगा। यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि उसे एक ही प्राधिकारी द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों में नियुक्त किया गया था। [पैरा 4] [1094-बी]

3. औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय दुर्भाग्य से इस प्रश्न पर नहीं गया कि यदि दोनों प्रतिष्ठानों को एक ही प्रतिष्ठान माना जाता है, तो अधिनियम की धारा 25 बी के अर्थ के अन्तर्गत सेवा की निरन्तरता की गणना करने के उद्देश्य से, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, एक व्यक्ति जो वैधानिक प्राधिकरण के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अलग-अलग समय पर काम कर रहा है, उसके एक होने के आधार पर बहाली का दावा करने का हकदार होगा, हालाँकि, एक प्रतिष्ठान को यह भी पता नहीं होगा कि कर्मचारी ने दूसरे प्रतिष्ठान में काम किया था। तो इस ज्ञान के अभाव में संबंधित कर्मचारी की छंटनी करने वाला प्राधिकारी अधिनियम की धारा 25 एफ में निहित वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, एक बार जब दो प्रतिष्ठानों को अलग-अलग माना जाता है, जिसमें श्रमिकों की अलग-अलग संवर्ग संख्या, यदि कोई हो, तो हमारी राय है कि जिस अवधि के दौरान श्रमिक एक प्रतिष्ठान में काम कर रहा था, वह उसके लाभ के लिए अधिकारी नहीं होगा जबकि उसे दूसरे प्रतिष्ठान में अलग से भर्ती किया गया था। विशेष रूप से जब उसे एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड में स्थानांतरित नहीं किया गया था। [पैरा 5][1094-सी-ई]

भारत संघ और अन्य बनाम जुम्माशा दीवान, [2006] 8 एससीसी 544, संदर्भित किया गया।

4. इसके अलावा, अब यह भी सुस्थापित हो गया है कि व्यापक विवेकाधिकार के बावजूद धारा 11 ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन औद्योगिक न्यायालयों को प्राप्त शक्ति में स्वतः ही पूर्ण वेतन के साथ बहाली की छूट केवल इस कारण नहीं दी जानी चाहिए कि ऐसा करना विधिपूर्ण होगा। अनुतोष प्रदान करना प्रत्येक मामले के तथ्य, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह कुछ कारकों पर निर्भर होगा, जिनमें से एक यह होगा कि क्या भर्ती उस समय क्षेत्र में प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के शर्तों के अनुरूप की गई थी। [पैरा 7] [1095-बी-सी]

5. उत्तरदाता ने बहुत कम समय के लिए काम किया। उसने केवल 1994-1995 में काम किया। इसलिए औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय ने सन 2003 में प्रत्यर्थी के पूर्ण वेतन सहित सेवा में पुनर्स्थापना के निर्देश का अवार्ड पारित करने में अवैधता कारित की है। यद्यपि कि, प्रत्यर्थी किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं है, फिर भी अपीलार्थी को उसे Rs.25,000/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 8] [1095-डी]

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकार न्याय निर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 1869।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2004 के आदेश से उद्दभूत 2004 की सिविल रिट पिटिशन संख्या 5948 पारित की गई।

अपीलार्थी की ओर से सतिंदर गुलाटी, कमलदीप नारंग और डॉ. कैलाश चंद एडवोकेट तथा प्रत्यर्थी की ओर से संजय बंसल, रीपक कंसल और जी.के. बंसल एडवोकेट उपस्थिति।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस.बी. सिन्हा द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। अक्टूबर, 1994 से फरवरी, 1995 तक उसने उपखण्ड संख्या 2, पानीपत में 145 दिनों की अवधि के लिए काम किया। हालाँकि, उसने मार्च, 1995 से जुलाई, 1995 तक 90 दिनों की अवधि के लिए उपखण्ड संख्या 3 में काम किया। उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। बर्खास्तगी के उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था। उक्त औद्योगिक विवाद को उचित सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, पानीपत को इसके उचित निस्तारण के लिए भेजा गया था। इसे सन 1999 के संदर्भ संख्या 59 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 28.02.2003 के एक निर्णय द्वारा, औद्योगिक न्यायालय ने इस आधार पर कि दोनों उपखण्डों में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को धारा 25 एफ सपठित धारा 25B औद्योगिक विवाद अधिनयम, 1947, के अन्तर्गत सेवा की निरन्तरता के उद्देश्य के लिए गिना जाना चाहिए, उसको सूचना मांग पत्र दिनांक 14.09.1995 से पूर्ण वेतन के साथ सेवा में बहाली का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी द्वारा इसके विरुद्ध दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है।

3. संक्षिप्त प्रश्न हमारे समक्ष विचार के लिए उत्पन्न होता है कि क्या उपरोक्त तथ्य परिस्थिति में, औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को पूर्ण वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश देना न्यायोचित था? इस बात से इनकार या विवाद नहीं किया गया है कि दोनों उपखण्ड दो अलग-अलग प्रतिष्ठान सृजित करते हैं। केवल इसलिए कि एक ही नियंत्रक प्राधिकारी है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि दोनों प्रतिष्ठान अलग नहीं थे।

4. प्रत्यर्थी ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना नियुक्ति प्रस्ताव पेश नहीं किया। यदि दो उपखण्डों द्वारा अलग-अलग उसके पक्ष में नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए थे, तो वही स्वतः इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि वे अलग-अलग थे। यदि उनकी नियुक्ति केवल मस्टर-रोल में प्रविष्टि के आधार पर थी, तो उस प्राधिकरी का पदनाम जो कि उसे दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत था, निर्धारक कारक होगा। यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि उसे एक ही प्राधिकारी द्वारा दोनों प्रतिष्ठानों में नियुक्त किया गया था।

5. औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय दुर्भाग्य से इस प्रश्न पर नहीं गया कि यदि दोनों प्रतिष्ठानों को एक ही प्रतिष्ठान माना जाता है, तो अधिनियम की

धारा 25 बी के अर्थ के अन्तर्गत सेवा की निरंतरता की गणना करने के उद्देश्य से, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, तो एक व्यक्ति जो वैधानिक प्राधिकरण के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अलग-अलग समय पर काम कर रहा है, उसके एक होने के आधार पर बहाली का दावा करने का हकदार होगा, हालाँकि, एक प्रतिष्ठान को यह भी पता नहीं होगा कि कर्मचारी ने दूसरे प्रतिष्ठान में काम किया था। तो इस ज्ञान के अभाव में संबंधित कर्मचारी की छंटनी करने वाला प्राधिकारी अधिनियम की धारा 25 एफ में निहित वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, एक बार जब दो प्रतिष्ठानों को अलग-अलग माना जाता है, जिसमें श्रमिकों की अलग-अलग संवर्ग शक्ति संख्या, यदि कोई हो, तो हमारी राय है कि जिस अवधि के दौरान श्रमिक एक प्रतिष्ठान में काम कर रहा था, वह दूसरे प्रतिष्ठान में जबकि उसे अलग से नियुक्त किया गया है तो पहले प्रतिष्ठाान में किये गये काम की अवधि के लाभ के लिए हकदार नहीं होगा। विशेष रूप से जब उसे एक उपखण्ड से दूसरे में स्थानांतरित नहीं किया गया था। इस प्रकरण में उसे केवल दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया था।

6. *भारत संघ व अन्य बनाम जुम्माशा दीवान,* [2006] 8 SCC 544, के प्रकरण में इस न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि

> ".....रेलवे प्रशासन के कई प्रतिष्ठान हैं, यदि एक कामगार स्वेच्छा से किसी एक प्रतिष्ठान में अपना काम छोड़ कर दूसरे प्रतिष्ठान में कार्यग्रहण करता है तो उसके द्वारा ऐसा करना सेवा में निरन्तरता नहीं माना जावेगा, जब एक आकस्मिक कर्मचारी विभिन्न प्रतिष्ठानों में एक ही नियोक्ता के अधीन नियुक्त होता है, उदाहरण के लिये भारत के रेल्वे प्रशासन में जो कि विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं रखती है उनके विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न परियोजनाएं है, तो ऐसी दशा में सेवा की निरन्तरता का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है और इस स्थिति में

वह सेवा में निरन्तरता के आधार पर एक ऊँची स्थिति का हकदार नहीं होगा। यह विवाद नहीं है कि अपीलार्थी संख्या 03 ने नई परियोजना शुरू की, उक्त् परियोजना में उसकी (कामगार की) नियुक्ति इसलिए नई नियुक्ति होगी। इस प्रकृति के प्रकरणों में प्रत्यर्थी सेवा में वरिष्ठता का हकदार नहीं होगा। जब एक परियोजना बन्द होती है तो धारा 25 एन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की अनुपालना आवश्यक नहीं होती है।"

7. इसके अतिरिक्त, अब यह भी पूर्णतया स्थापित है कि धारा 11 ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रम न्यायालयों को प्रदत्त गई शक्तियां, विस्तृत विवेक के अधीन है। फिर भी ' पूर्ण गत वेतन सहीत सेवा में बहाली का अनुतोष स्वतः केवल इस आधार पर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसा करना विधिपूर्ण होगा। यह अनुतोष प्रत्येक प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह विभिन्न कारकों जिनमें से एक कारक यह भी होगा कि क्या नियुक्ति लागू विधिक प्रावधानों के शर्तों के अधीन की गई थी, यदि ऐसी कोई शर्त हो तो।

8. प्रत्यर्थी ने यद्यपि कम समय के लिए कार्य किया। उसने केवल 1994-95 के बीच जैसा कि उपर वर्णित है कार्य किया, इसलिए हमारी राय में औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय ने वर्ष 2003 में एक निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थी को 'पूर्ण वेतन के साथ बहाल' करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित करने में अवैधता की है। यद्यपि कि हमारी राय में प्रत्यर्थी किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है, फिर भी हम यह निर्देश देते है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को रूपये 25,000/- रूपये अदा करेगा।

9. यह अपील उपरोक्त् सीमा तक स्वीकार की जाती है। हालांकि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सतीश चन्द कौशिक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।